–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 70/2025

उनवान

दिनेश कुमार पुत्र सुखदेव जाति रेगर निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
——वादी :–जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. ~~विष्णु पुत्र मोहन समस्त जाति खाती निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद~~
3. ~~किशनी पत्नी नन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद~~
4. ~~राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद~~

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें राज. पैरोकार, 2 अनुपस्थिति, 3 व 4 स्वयं

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 15.5.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के हाल खाता संख्या 1593/1682 किता 12 रकबा 3.42, 1594/1679 किता 3 रकबा 4.15, 1595/1656 किता 12 रकबा 4.21 व खसरा नम्बर 5634 रकबा 0.14 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी व हिस्से की है। उक्त आराजी में वादी का नाम दिनेश कुमार पुत्र सुखदेव उर्फ सुखा के स्थान पर दिनेशचन्द पुत्र सुखा दर्ज कर दिया है। जिस कारण वादी को नाना प्रकार की परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः आराजी मूतनाजा पर वादी का नाम सही किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 स्वयं ने उपसिथत होकर वाद के कथनों को स्वीकार किया। प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम रामसर के हाल खाता संख्या 1593/1682 किता 12 रकबा 3.42, 1594/1679 किता 3 रकबा 4.15, 1595/1656 किता 12 रकबा 4.21 व खसरा नम्बर 5634 रकबा 0.14 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी व हिस्से की है। ग्राम रामसर के हाल खाता संख्या 1593/1682 किता 12 रकबा 3.42, 1594/1679 किता 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

रकबा 4.15, की आराजी में वादी का नाम दिनेशचन्द पुत्र सुखा, खाता संख्या 1595/1656 किता 12 रकबा 4.21 की आराजी में दिनेशकुमार पुत्र सुखदेव व खसरा नम्बर 5634 रकबा 0.14 की आराजी में दिनेश पुत्र सुखदेव अंकित है। खसरा नम्बर 5634 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की कयशुदा है जिसमें केता के रूप में वादी का नाम दिनेश कुमार पुत्र सुखदेव ही अंकित हैं किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में वादी का नाम दिनेश पुत्र सुखदेव अंकित कर दिया है। खाता संख्या 1595/1656 किता 12 रकबा 4.21 की आराजी में वादी का नाम दिनेशकुमार पुत्र सुखदेव सही अंकित है। हाल खाता संख्या 1593/1682 किता 12 रकबा 3.42, 1594/1679 किता 3 रकबा 4.15, की आराजी में वादी का नाम दिनेशचन्द पुत्र सुखा अंकित है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम दिनेशचन्द पुत्र सुखदेव है। उक्त आराजी जरियें विरासत वादी के नाम दर्ज हुयी है विरासत के नामान्तकरण के समय वादी का नाम गलत अंकित कर दिया है। आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम सही अंकित करने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 स्वयं ने उपसिथत होकर वाद के कथनों को स्वीकार किया है। वादी का नाम दुरूस्त करने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा। वादी ने आराजी मुतनाजा पर अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रहन रखा है किन्तु वादी का नाम सही करने से रहन के इन्द्राज पर कोई विपरित प्रभव नही पडेगा। वादी नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खाता संख्या 1593/1682 किता 12 रकबा 3.42, 1594/1679 किता 3 रकबा 4.15, 1595/1656 किता 12 रकबा 4.21 व खसरा नम्बर 5634 रकबा 0.14 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम दिनेश कुमार पुत्र सुखदेव उर्फ सुखा करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

दिनेश कुमार बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :—88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 70 / 2025
पेश करने की दिनांक — 17.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक महेश सुकरिया मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम रामसर के हाल खाता संख्या 1593 / 1682 किता 12 रकबा 3.42, 1594 / 1679 किता 3 रकबा 4.15, 1595 / 1656 किता 12 रकबा 4.21 व खसरा नम्बर 5634 रकबा 0.14 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम दिनेश कुमार पुत्र सुखदेव उर्फ सुखा करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:10 IST
Reason: SelfAttested